निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 558) पटना, शुक्रवार, 1 जुलाई 2016

सं० यो04 / S.H.A-22/2016- 3336 / यो0वि0,
योजना एवं विकास विभाग

संकल्प

30 जून 2016

विषयः— **''मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report-DPR) के अंतर्गत विभिन्न कियाकलापों के संपादन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में सम्भावित व्यय 11070.00 लाख रूपये तथा 5 वर्षो में संभावित व्यय 50196.00 लाख रूपये एवं अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत् विषयों की स्वीकृति।**

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु विभिन्न कियाकलापों के संपादन एवं आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report-DPR) के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों के सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में सम्भावित व्यय 11070.00 लाख रूपये तथा पाँच वर्षों का सम्भावित व्यय 50196.00 लाख रूपये है।

2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के End to end Computerisation हेतु बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा Consultant के रूप में KPMG Pvt. Ltd. की सेवायें उपलब्ध करायी गयी है। इस Consultant का मुख्य कार्य मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु विभिन्न कियाकलापों के लिए Request for Proposal (RFP) तैयार करना, DPR तैयार करना तथा योजना एवं विकास विभाग को Technical Support प्रदान करना है। इनकी सेवा 18 माह के लिए विभाग को उपलब्ध होगी। BSEDC को वित्तीय वर्ष 2016–17 में मो0 211.00 लाख रू0 Consultancy charge के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस मद में पॉच वर्षो का संभावित व्यय मो0 511.00 लाख रूपये है।

3. राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास हेतु आवेदन पत्र Online प्राप्त किया जाना है तथा आवेदकों को पावती की सूचना भी Online ही दी जानी है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता भत्ता की राशि RTGS/NFT के माध्यम से ही Online आवेदकों के खातें में हस्तांतरित किया जाना है। इसके लिए MIS Software निर्माण, अधिष्ठापन, संचालन एवं रख–रखाव करने हेतु एक System Intigrator (Vendor) का चयन किया जाएगा जिसपर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय 1817.00 लाख रूपये है और 5 वर्षो का संभावित व्यय मो0 3027.00 लाख रूपये है।

4. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर एक Call Centre स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से आवेदकों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो पायेगा। Call Centre की स्थापना हेतु एक Vendor का चयन किया जाएगा। Call Centre की स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2016–17 का संभावित व्यय 78.00 लाख रूपये तथा 5 वर्षो का संभावित व्यय 585.00 लाख रूपये है।

5. राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए आवश्यक मानवबलों के पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय मो0 72.00 लाख रूपये है एवं 5 वर्षो का संभावित व्यय 543.00 लाख रूपये है।

6. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक मानवबलों के पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय मो0 4568.00 लाख रूपये है तथा 5 वर्षो का संभावित व्यय मो0 27212.00 लाख रूपये है।

7. परियोजना प्रबंधन इकाई के उपयोग हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं अन्य आपूर्तिकर्ता से ली जाएगी जिसपर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय मो0 16.00 लाख रूपये है।

8. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, बायोमैट्रिक डिवाईस, Stand Mounted Camera, LED Screen, Token Display Screen, Token Vending Unit, Token Calling Unit, Routers, Modems, Card Printers, 24 Port Switch, 12 U Rack, UPS इत्यादि की आवश्यकता होगी। इन सभी उपकरणों की आपूर्ति बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से सभी जिलों में करायी जाएगी। इन उपकरणों की आपूर्ति पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय मो0 1613.00 लाख रूपये है तथा 5 वर्षो का संभावित व्यय मो0 2371.00 लाख रूपये है।

9. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हेतु निबंधित आवेदकों का तृतीय पक्ष एजेंसी (Third Party Agency) से सत्यापन कराया जाएगा। इसके पश्चात् आवेदकों के आवेदन पत्र को अग्रेत्तर काईवाई हेतु संबंधित बैंकों को अग्रसारित किया जाएगा। Third Party Verification का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा तथा शिक्षा विभाग के संबंधित बजट शीर्ष से इसका भुगतान होगा। आवेदन पत्रों के Third Party Verification पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय मो0 1180.00 लाख रूपये है तथा 5 वर्षो का संभावित व्यय मो0 8850.00 लाख रूपये है।

10. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदकों को मुद्रित एवं लेमिनेटेड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय मो0 71.00 लाख रूपये है तथा 5 वर्षो का संभावित व्यय मो0 531.00 लाख रूपये है।

11. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन पर स्टेशनरी इत्यादि तथा प्रतिदिन होनेवाले छोटे–छोटे व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में संभावित व्यय मो0 1444.00 लाख रूपये है तथा 5 वर्षो का संभावित व्यय मो0 6550.00 लाख रूपये है।

12. अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत विषय :–

12.1 बिहार राज्य के निवासी राज्य सरकार के अधीन विभिन्न बोर्ड/परीक्षा परिषदों के अतिरिक्त CBSE/ICSE एवं अन्य समकक्ष परीक्षा बोर्ड/परिषद से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 20 से 25 वर्ष आयुवर्ग के बेरोजगार व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।

12.2 इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि जिन बेरोजगार युवाओं को दी जायेगी, उन्हें प्रखंड स्तर पर संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कौशल युवा) का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। स्वयं सहायता भत्ता की देय राशि के अंतिम पाँच माह के भत्ता का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जबतक की वे प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर लेते है।

12.3 स्वयं सहायता भत्ता/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/कौशल विकास योजनाओं से संबंधित आवेदन करने हेतु एक Mobile Application भी विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से भी आवेदक अपना आवेदन दे सकेंगे।

12.4 स्वंय सहायता भत्ता हेतु आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भी Scheduled Bank में हो सकता है।

12.5 इस योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थापित किए जानेवाला परियोजना प्रबंधन इकाई Bihar Local Area Development Agency (BLADA) के अंतर्गत कार्य करेगी।

12.6 आवेदकों के बैंक खाता में BLADA के माध्यम से Online RTGS/NEFT के द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से भत्ता की राशि हस्तान्तरित की जाएगी। इसके लिए योजना एवं विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत कोषागार से एक मुश्त राशि आहरित कर Bihar Local Area Development Agency को उपलब्ध करायी जाएगी।

13. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जिन क्रियाकलापों पर व्यय योजना एवं विकास विभाग को करना होगा, उससे संबंधित राशि निम्न बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा :–

(क) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–P–2235602000117

(ख) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0106–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–P–2235607890106

(ग) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–0102–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–P–2235607960102

14. उपर्युक्त में राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/जिला योजना पदाधिकारियों/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 558-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in